

टी0ए0 मिस केस सं0 201/2018-19

आदेश

अभ्युक्ति

दिनांक  
05.03.2019

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक बलदेव सावैयों पिता- स्व0 सामु सावैयों, निवासी ग्राम- गितिलपी टोला किडीगोट, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-गितिलपी, थाना नं0- 580,के अन्दर खाता नं0- 71, प्लॉट नं0- 527, रकवा- 0.07½ एकड़ भूमि क्रेता मनोज कुमार मुन्दुईया, पिता-सिंगराय मुन्दुईया, निवासी ग्राम- गितिलपी, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के पिता के नाम से दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-64, दिनांक- 23.1.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गृह निर्माण हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता मनोज कुमार मुन्दुईया, पिता-सिंगराय मुन्दुईया, निवासी ग्राम- गितिलपी,थाना- मुफसिल चाईबासा के पास 3,35,000.00/- (तीन लाख पैंतीस हजार ) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.40 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता बलदेव सावैयों पिता- स्व0 सामु सावैयों, निवासी ग्राम- गितिलपी टोला किडीगोट, थाना- मुफसिल, क्रेता मनोज कुमार मुन्दुईया, पिता-सिंगराय मुन्दुईया, निवासी ग्राम- गितिलपी, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास जमीन को कुल 3,35,000.00/- (तीन लाख पैंतीस हजार ) में मौजा- गितिलपी, थाना नं0- 580,के अन्दर खाता नं0- 71, प्लॉट नं0- 527, रकवा- 0.07½ एकड़, जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।